मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *14

22.07.2024 को उत्तर के लिए

खनन कंपनियों को वन भूमि का आबंटन

***14. श्री राजकुमार रोत:**

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा देश में खनन कंपनियों को पट्टे पर अथवा अन्यथा आवंटित वन विभाग की भूमि का उदयपुर-बांसवाड़ा मंडल सहित राज्य/मंडल-वार ब्यौरा क्या है और उसके मानदंड क्या हैं और कंपनियों के नाम, कुल क्षेत्रफल और पट्टे की अवधि; अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की शर्तों और प्रतियों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी क्या है;

(ख) क्या राजस्थान में वन विभाग की भूमि के लिए खनन कंपनियों को ग्राम सभाओं की सहमति के बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं और यह पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार (पीईएसए) अधिनियम का उल्लंघन है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त सभी अनापत्ति प्रमाण-पत्रों को रद्द करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इन अनापत्ति प्रमाण-पत्रों को कब तक वापस लिए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार इस बात को अनिवार्य मानती है कि कम्पनियों को उक्त भूमि आबंटित करने से पूर्व, वन भूमि क्षेत्र की ग्राम पंचायत की पंचायती राज अथवा पीईएसए अधिनियम के अंतर्गत गठित संबंधित ग्राम सभाओं से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाए?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"खनन कंपनियों को वन भूमि का आबंटन" के संबंध में श्री राजकुमार रोत द्वारा दिनांक 22.07.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *14 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) 'भूमि' राज्य सूची का विषय है। वन क्षेत्र और उनकी वैध सीमाओं का निर्धारण एवं अनुरक्षण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। तदनुसार, किसी वनेतर प्रयोजन से वन भूमि को पट्टे पर सौंपने या आबंटित करने का अंतिम निर्णय लेना संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तथापि, वनेतर प्रयोजनों के लिए किसी वन भूमि का उपयोग करने हेतु, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत केन्द्र सरकार का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है।

इस संबंध में, केन्द्र सरकार ने वन, वन्यजीव एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियों के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करने और उन पर कार्रवाई करने के प्रयोजन से **'परिवेश'** (''प्रोएक्टिव एंड रिस्पांसिव फेसिलिटेशन बाइ इंटरएक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरनमेंटल सिंगल विंडो हब'') नामक एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, विगत पांच वर्षों के दौरान अर्थात् दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2024 तक, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत खनन श्रेणी में अपवर्तन हेतु 18922.98 हेक्टेयर वन भूमि को शामिल करते हुए 179 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। विगत पांच वर्षों के दौरान, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के तहत खनन श्रेणी में अपवर्तित वन भूमि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में तथा विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य में स्वीकृत खनन प्रस्तावों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

परियोजनाओं का ब्यौरा जैसे-कंपनियों के नाम, कुल क्षेत्र, पट्टे की अवधि, शर्तों का ब्यौरा प्रमंडल के नाम और स्थानों सहित पब्लिक डोमेन में **परिवेश** पोर्टल पर उपलब्ध है।

(ख) से (ङ) वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत मंजूरी केवल केन्द्र सरकार का पूर्वानुमोदन है और वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अपवर्तन हेतु अंतिम आदेश संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य सभी अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरांत जारी किया जाता है। इस संबंध में, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम 11 (7) में प्रावधान किया गया है कि:

''राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जो भी स्थिति हो, अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के तहत केन्द्र सरकार की 'अंतिम' मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात, और अन्य सभी अधिनियमों एवं उनके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों को पूरा करने तथा उनका अनुपालन करने, जो लागू हो, जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006(2007 का 2) के तहत अधिकारों का समाधान सुनिश्चित करना शामिल है, के पश्चात अपवर्तन करने, पट्टा सौंपने या आरक्षण समाप्त करने, जो भी स्थिति हो, के लिए आदेश जारी करेगा।''

******

अनुबंध- I

"खनन कंपनियों को वन भूमि का आबंटन" के संबंध में श्री राजकुमार रोत द्वारा दिनांक 22.07.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *14 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वनेतर प्रयोजन हेतु वन भूमि के उपयोग के लिए खनन परियोजनाओं में अनुमोदित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वन क्षेत्र

श्रेणी : खनन		**01/04/2019 से 31/03/2024 तक की अवधि के दौरान**	
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**प्रस्तावों की संख्या**	**स्वीकृत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**
1	अरुणाचल प्रदेश	1	83.12
2	असम	12	451.99
3	छत्तीसगढ	11	2258.20
4	हिमाचल प्रदेश	4	85.50
5	झारखंड	16	2658.23
6	कर्नाटक	13	750.24
7	मध्य प्रदेश	21	3406.63
8	महाराष्ट्र	6	262.52
9	मेघालय	1	6.55
10	ओडिशा	48	7680.78
11	राजस्थान	4	488.58
12	तमिलनाडु	1	16.72
13	तेलंगाना	6	571.13
14	त्रिपुरा	31	77.26
15	उत्तर प्रदेश	1	0.00
16	उत्तराखंड	2	23.75
17	पश्चिम बंगाल	1	101.77
कुल योग		**179**	**18922.98**

स्रोत : **https://parivesh.nic.in**

अनुबंध- II

"खनन कंपनियों को वन भूमि का आबंटन" के संबंध में श्री राजकुमार रोत द्वारा दिनांक 22.07.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *14 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

01/04/2019 से 31/03/2024 तक की अवधि के दौरान राजस्थान में खनन श्रेणी के अनुमोदित प्रस्तावों का विवरण

क्र. सं.	प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	उपयोगकर्ता एजेंसी	प्रभाग का नाम	स्वीकृत क्षेत्र (हेक्टेयर में)	चरण II तिथि
1	एफपी/आरजे/एमआईएन /125714 /2021	खनन प्रयोजन के लिए पहाड़पुर ब्लॉक ए और बी	डीएमजी राजस्थान	भरतपुर प्रादेशिक	398.0085	11.03.2022
2	एफपी/आरजे/एमआईएन /921/ 2000	सिलिका रेत का एम/एल	मेसर्स हिंद मिनरल्स	करौली प्रादेशिक	5.9095	19.04.2023
3	एफपी/आरजे/एमआईएन /142599 /2021	राजस्व गांव-दांता में ओपनकास्ट मार्बल खनन,	आरडीएसए माइनिंग एलएलपी	प्रतापगढ़ प्रादेशिक	74.249	09.10.2023
4	एफपी/आरजे/एमआईएन /142600 /2021	राजस्व गांव-केलामेला (प्लॉट संख्या 02/2019) में ओपन कास्ट मार्बल खनन,	आरडीएसए माइनिंग एलएलपी	प्रतापगढ़ प्रादेशिक	10.4162	05.10.2023
				कुल	**488.5832**	